पवन कुमार आदि बनाम खेमी आदि
प्र.सं0 07/2020 अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी

19.10.2020

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी बुधराम पुत्र श्री हेमाराम जाति ब्राहमण निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण पवन कुमार आदि द्वारा न्यायालय मे हक की घोषण एवं किलेवाईज विभाजन का दावा पेश करने पर वाद सं. 50/11 पवन कुमार आदि बनाम खेमी आदि में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.07.2015 को पारित की गयी। निर्णय टाईप करते समय पहले पन्ने पर विवादित भूमि चक 8 एनपी लिखा हैं, तीसरे पन्ने पर भी विवादित भूमि चक 8 एनपी लिखा हुआ हैं परन्तु पृष्ठ सं. 4 पर आदेश में चक 8 एनपी की जगह चक 6 एनपी दर्ज हो गया, इसलिए निर्णय एवं डिक्री की पालना राजस्व पटवारी हल्का नहीं कर रहा हैं। चक 8 एनपी की जगह चक 6 एनपी लिखना लिपिकीय भूल हुई हैं जो सुधार किया जाना आवश्यक हो गया हैं। अतः वाद पत्र प्र.सं. 50/11 पवन कुमार आदि बनाम खेमी आदि तारीख फैंसला 08.07.2015 को तलब किया जाकर निर्णय एवं डिक्री में चक 6 एनपी को विलोपित कर 8 एनपी दर्ज करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर मूल रिकार्ड तलब किया गया। मूल रिकार्ड प्र.सं. 50/11 अनवान कमला बनाम खेमी वगैरा अन्तर्गत धारा 88–53–92ए आरटीएक्ट निर्णय दिनांक 08.07.2015 का अवलोकन किया। वादीया कमला देवी की ओर से न्यायालय में वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर चक 8 एनपी की जमाबंदी सम्वत् 2063–66 का खाता सं. 76 मु.नं. 58 प.नं. 152/324 का कि.नं. 1ता 25 का 6.200है. नहरी मु.नं. 153/324 का कि.नं. 1 ता 25 का 6.198है. मु.नं. 152/325 का कि.नं. 1 ता 11 का 2.656है0 कुल 15.054है. भूमि में 3.763है. भूमि एवं करडवाली की जमाबंदी 2.66–69 का खाता सं. 19 में दर्ज मु.नं. 168/320 का 6.2है. बारानी भूमि, चक भागसर बारानी का मु.नं. 151/326 की 6.198है. बारानी खातेदारी भूमि जो मृतक हेमाराम की खातेदारी भूमि थी उसमें वादीया की माता सरस्वति देवी का 1/9 हिस्सा के आधार पर वादीया का 1/18 हिस्सा घोषित किया जाकर इसका अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया। जिस पर न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट करड़वाली दिनांक 08.07.2015 को निर्णय पारित किया। निर्णय के प्रथम एवं तीसरे पृष्ठ पर विवादित रकबा 8 एनपी अंकित है परन्तु निर्णय के चौथे/अंतिक पृष्ठ पर अंतिक पैरा में वादग्रहस्त रकबा 8 एनपी के स्थान पर संहवन से 6 एनपी दर्ज हो गया हैं। जो कि लिपिकीय भूल टाईपिंग मिस्टेक के कारण होना प्रतीत होता हैं। डिक्री में भी 8 एनपी के स्थान पर संहवन से 6 एनपी दर्ज हैं। जिसकी दुरूस्ती की जानी न्यायोचित्त प्रतीत होती हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी [illegible] प्रार्थी स्वीकार किया जाकर न्यायालय के निर्णय में इस [illegible] की जाती हैं कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय [illegible] दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.10.22 17:56:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

08.07.2015 के अंतिम पृष्ठ सं. 4 के अंतिम पैरा की द्वितीय पंक्ति में दर्ज 6 एनपी के स्थान पर 8 एनपी लिढ़ा पढ़ा एवं समझा जावे। शेष अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार संशोधित पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय की एक प्रति मूल वाद में संलग्न की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व रायसिंनहगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.10.22 17:56:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

संशोधित डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
CIVIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 50/11

कमला पुत्री धन्नाराम व सरस्वती (मृतक) जाति ब्राह्मण निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

(1) पवन कुमार पुत्र श्री राजाराम (स्व0 कमला) जाति ब्राह्मण निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

(2) चन्द्रशेखर पुत्र श्री राजाराम (स्व0 कमला) जाति ब्राह्मण निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

(3) सम्पदा पुत्री श्री राजाराम (स्व0 कमला) जाति ब्राह्मण निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

– वादीया

बनाम

1. खेमी पत्नि हेमाराम जाति ब्राह्मण निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर
2. देवी लाल पुत्र हेमाराम जाति ब्राह्मण निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर
3. बुधराम पुत्र हेमाराम जाति ब्राह्मण निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर
4. रामेश्वरलाल पुत्र हेमाराम जाति ब्राह्मण निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर
5. तुलसी पुत्री हेमाराम जाति ब्राह्मण निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर
6. चावली पुत्री हेमाराम जाति ब्राह्मण निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर
7. रामी पुत्री हेमाराम जाति ब्राह्मण निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर
8. कमला पुत्री हेमाराम जाति ब्राह्मण निवासी करड़वाली तहसील रायसिंहनगर
9. कलावती देवी पत्नि मोहनलाल पुत्री धन्नाराम जाति ब्राह्मण निवासी 15 एल.एन.पी. तहसील पदमपुर
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53–92ए राज.काश्त.अधि.

–: निर्णय :–

दिनांकः–08.07.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री राजीत जग्गा अधिवक्ता वादीया मिनजानिब मुदई श्री अजय तनेजा वकील प्रतिवादी सं. 2–3–4–9 मुदायालाह पेश होकर हुकम दिया जाता है डिक्री की जाती है किः–उक्त विवेचन एवं बरूवे राजीनामा दिनांक 08.04.13 के अनुसार वादीगण निम्न डिक्री किया जाता है कि वाद में उल्लेखित वादग्रस्त रकबा वाके चक 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 152/324 मु.नं. 58 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 है0 नहरी, मु.नं. 153/324 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.198 है0 , मु.नं. 152/325 के कि.नं. 1 ता 11 की 2.656 है0 कुल 15.054 है0 भूमि में से हेमाराम की 3.763 है0 भूमि एवं करडवाली तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 19 में मु.नं. 168/320 की 6.200 है0 बारानी एवं भागसर बारानी का मु.नं. 151/326 की 6.198 है0 बारानी खातेदारी भूमि में मृतक हेमाराम के कुल नौ वारिसान प्रतिवादीगण खेमी, देवीलाल, रामेश्वरलाल, बुधराम, तुलसी, चावली, रामी, कमला व मृतका सरस्वती जो वादिया व प्रतिवादीया कलावती की माता है। प्रत्येक का 1/9, 1/9 भाग विरास्तन होना प्रतिवादीगण/द्वितीय पक्षकारान स्वीकार करते है। तदनुसार ऊपर वर्णित वादग्रस्त रकबा में प्रथम पक्षकार/वादिया कमलादेवी के वारिस व द्वितीय पक्षकार/प्रतिवादिया सं. 9 कलावती देवी का 1/9 हिस्सा विरास्तन बहिब बराबर–बराबर घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

संशोधित डिक्री आज दिनांक 19.10.2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2020.10.22 17:56:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner